समक्ष माननीय सदस्य मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल

प्र. क्र.निगरानी– /16सिहोर

दीपक फास्टनर्स लिमिटेड
बी–259–260 इन्द्रा विहार कालोनी फैज, मस्जिद के पास
एयरपोर्ट रोड भोपाल निवासी ग्राम खोखरी तहसील एवं
जिला सिहोर म0प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

..... अनावेदक

मध्यप्रदेश शासन

म0प्र भू–राजस्व सहिंता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

आवेदक विद्वान आयुक्त भोपाल सभांग भोपाल द्वारा द्वारा उनके प्रकरण क0 75/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 08/05/16 से असन्तुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी आदेश कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होंने कि दिनांक से निर्धारित समयावधि में माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक सस्थान ने अपने स्वामित्व कि ग्राम खोखरी तहसील एवं जिला सिहोर स्थित 62 किता रकवा 34.642 हेक्टयर कृर्षि भूमि के व्यवसायिक/औघोगिक प्रयोजन हेतु अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अधिनियम की धारा 172 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि का नियमानुसार व्यपवर्तन करने का अनुरोध किया गया। अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने आवेदक सस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार सबधिंत हल्के के राजस्व निरीक्षक को भूमि व्यपवर्तन के सबन्ध में नियमानुसार जाचं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत् आदेशित किया गया । राजस्व निरीक्षक महोदय ने शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशो एवं मौके कि वास्तविक परिस्थितियो पर विचार किये विना ही प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुतअ त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन के आधार पर **प्रकरण क0 319/अ–2/2010–2011 में पारित आदेश दिनांक 30/09/2011** के द्वारा व्यपवर्तन लगान रू0 52,04,098/–तथा प्रीमियम राशि रू0 5,19,683/– व व्यपवर्तन लगान रू0 52,04,098/–तथा प्रीमियम राशि रू0 5,19,683/–का आधा–आधा कमशः 26 02 049/– एवं 2,59,842/– उपकर अधिरोपित करते हुए अधिनियम कि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी/773–दो/2016 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-8-2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्र0 कं0 75/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 8–5–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषकों द्वारा ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक का मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राम खोखरी तहसील एवं जिला सीहोर स्थिति 62 किता रकबा 34.62 हे0 कुषि भूमि के व्यवसायिक/औघोगिक हेतु व्यपवर्तन संबंधी आदेश दिये है जिसमें व्यपवर्तन लगान रूपये 52,04,098/– तथा प्रीमियम राशि रू0 5,19,683/– का आधा कमशः 26,02,049/– एवं 2,59,842/– उपकर अधिरोपित करते हुये व्यपवर्तन आदेश दिये हैं। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी ने विवादित आदेश पारित करने के पूर्व उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना लगान एवं प्रीमियम राशि अधिरोपित करने में त्रुटि की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि की मंशा के विपरीत जाकर व्यपवर्तन शुल्क एवं प्रीमियम अधिरोपित करने में त्रुटि की है जिसे आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखने में त्रुटि की है।	

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा व्यपवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व निरीक्षक अपने प्रतिवेदन में ग्राम खोकरी की आवेदित भूमि को वर्ग–6 में रखते हये प्रीमियम की प्रमातिण दर 1.50 रूपये प्रति वर्गमीटर निर्धारित किया तथा लगान 52,04,098/– एवं प्रीमियम 5,19,683/– रूपये अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही के पश्चात शासन द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर अनुसूचि के वर्ग–6 के ग्राम क्षेत्र में स्थित होने से न्यूनतम राशि 1.50/– प्रतिवर्ग मीटर के मान से व्यपवर्तन शुल्क एवं प्रीमियम अधिरोपित किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को आयुक्त द्वारा भी विधिसंगत पाते हुये आवेदक की अपील निरस्त की है। जहां तक आवेदक अभिभाषक के इस तर्क का प्रश्न है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया, उचित नहीं है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी सहित आयुक्त न्यायालय में आवेदक को सुनकर गुण–दोषों पर आदेश पारित किया गया है। दर्शित परिस्थितियों में इस निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकट नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य